


मध्य प्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
मंत्रालय  
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 13, अक्टूबर, 2020

क्रमांक एफ 1-12/2020/18-1(3918):: राज्य शासन एतद्वारा श्री प्रभुशंकर खरे (राजस्व उप निरीक्षक) प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, अमरपाटन जिला सतना को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, मालथौन जिला सागर के रिक्त पद पर पदस्थ करता है।

2/ उक्त स्थानान्तरण भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 437/6/1/ईसीआई/आईएनएसटी/एफयूएनसीटी/एमसीसी/2020 दिनांक 29.09.2020 एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 9/वि.स.उप चुनाव/2020/5077 दिनांक 14.09.2020 में दिये गये स्पष्टीकरण एवं मार्गदर्शन के अनुक्रम में जारी किया जाता है।


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
( डॉ. अमिताभ अवस्थी )  
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
भोपाल, दिनांक 13, अक्टूबर, 2020

पृ० क्रमांक एफ 1-12/2020/18-1(3918)  
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय,
  2. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल,
  3. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
  4. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, नगरीय विकास एवं आवास,
  5. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रीवा/सागर,
  6. प्रशासक/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, अमरपाटन/मालथौन,
  7. संबंधित कर्मचारी,
  8. श्री नरेन्द्र भगत, वेब कांटेक्टर मैनेजर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,
  9. आर्डर बुक,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित।

  
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग